



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:mel-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/BLR/BXT/07MPR42004

दिनांक -30.04.2020

प्रेषित- राजेश अंबस्था, एजेंट खान,

कुदाग बाकसाइट खान

सर्वश्री हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड,

जिला -बलरामपुर, -497001

छत्तीसगढ़ , -497001

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले में स्थित आपकी कुदाग बाकसाइट खान (Area 377.116 Ha.) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 12.02.2020 by undersigned accompanied by Shri Rajesh Ambasta(Agent Mines) & Shri Dilip Ray (Mines Manager)

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no सर / बॉक्स /खयो-383/नाग/2016/25-रायपुर dated 31.08.2016 and following deviation was observed during inspection 1. The working is proposed in single pit but working has been done in two pits.. 2. The excavation is not as per proposal and proposal is given between grid 2598104N -2598405N &804139.4 E to 804335.8 E but actual working is done in two areas between grid 2598220N-2598309N,804280E-804399E & 2597617N -2597779N,802925E-803106E 3. As the excavation not done as per proposal therefore the backfilling was also not done as per proposal. 4. During 2018-19 26870 cum mineral reject generation proposed against which nil generation reported.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर